राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 01031/2023

हरीश कम्मा –**अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।
3. रविन्द्र सिंह, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, परियोजना प्रबन्धक, अनुजा निगम लिमिटेड, झुंझुंनू।

–**प्रत्यर्थीगण**

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.02.2023
आदेश की दिनांक : 03.05.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से :

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर अनुजा निगम, झुंझुंनू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.01.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उप निदेशक, (क्षेत्रीय) महिला एवं बाल विकास विभाग, बाडमेर में बिना किसी प्रशासनिक कारण के किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 का स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण 700 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी की पत्नी जो कि माध्यमिक शिक्षा में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर झुंझुंनू में कार्यरत है। अतः अपीलार्थी का स्थानान्तरण बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को संमजित (accommodate) करने के आशय से जारी किया गया है। अपीलार्थी ने अपने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कभी कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया,

अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 05.01.2023 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को

सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर अनुजा निगम, झुंझुंनू में कार्य करने दिया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर अनुजा निगम, झुंझुंनू में कार्यरत है। अपीलार्थी को यह निर्देश दिए जाते है कि अपीलार्थी आदेश की दिनांक से दो सप्ताह में समस्त तथ्यों एवं आधारों का उल्लेख करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी तीन सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)